राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) आपात स्थिति की घोषणा के बाद जिन भूतपूर्व शासकों के परिसरों पर आयकर प्राधिकारियों द्वारा तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही की गई है उनके नाम और उसके परिणामस्वरूप अभिग्रहीत परिसम्पत्तियों का मूल्य नीचे दिए अनुसार है :-

भूतपूर्व शासक का नाम जिसके परिसरों की तलाशी ली गई थी	अभिग्रहीत परिसम्पत्तियों का मूल्य (लाख रुपयों में)
(i) स्वर्गीय श्री जगत दीपेन्द्र नारायण (कूच बिहार के भूतपूर्व शासक) तथा अन्य	10
(ii) श्री माधवराव जे० सिंधिया (ग्वालियर के भूतपूर्व शासक) तथा अन्य **इनके अनिर्दिष्ट, कुछ जवाहरात प्रतिषेधात्मक आदेशों के अन्तर्गत रखे गए हैं।	99**
(iii) श्री आर० एस० के० आर० रंगा राव [बोबिली (आंध्र प्रदेश) के भूतपूर्व शासक] तथा अन्य	4

(ख) अभिग्रहीत परिसम्पत्तियों पर आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अभिग्रहीत परिसम्पत्तियों के उस भाग का पता, जो अन्ततः ले लिया जायेगा, सभी कार्यवाहियों को अन्तिम रूप देने पर ही चलेगा। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है।

जिस तलाशी में मूल्यवान परिसम्पत्तियों का अभिग्रहण किया जाता है उसमें तलाशी के बाद पहला काम यह होता है कि छिपाई गई आय का सरसरी तौर पर निश्चय करके आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(5) के अन्तर्गत आदेश जारी किया जाय और अभिग्रहीत परिसम्पत्तियों का उतना भाग रोक लिया जाय जो छिपाई गई अनुमानित आय पर कर के कुल दायित्व को (ब्याज और दण्ड सहित) और विभिन्न प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत किसी वर्तमान दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। इसके बाद नियमित कर निर्धारण का कार्य आरम्भ किया जाता है और सबूत की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यवाही की जाती है, जिसमें जहां कहीं आवश्यक हो वहां दण्ड लगाना। इस्तगासे की कार्यवाही करना शामिल है।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आपात स्थिति की घोषणा के बाद छापे

1802. **श्री हुकम चन्द कछवाय:** क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपात स्थिति की घोषणा के बाद देश में ऐसे व्यक्तियों की संख्या तथा नाम क्या है जिनके यहां पांच लाख रुपए के अधिक मूल्य का गैरकानूनी माल, सोने के जेवर, मूल्यवान चीजें, विदेशी मुद्रा भारतीय मुद्रा, विदेशी शराब तथा कागजात तथा अन्य सामान छापों में बरामद हुआ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

Handloom development schemes taken up in Kerala

1803 SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state a brief outline of the schemes proposed to be implemented in the State of Kerala for the betterment of handloom weavers under 20-point Economic Programme and the total amount allotted in this regard?